

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पूर्ण पीठ 9 से 11 अगस्त तक लखनऊ में

प्रदेश सरकार मानव अधिकारों के संरक्षण के प्रति अत्यन्त गंभीर एवं संवेदनशील

लखनऊ: 9 अगस्त, 2017

प्रदेश सरकार मानव अधिकारों के संरक्षण के प्रति अत्यन्त गंभीर एवं संवेदनशील है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार शासन कि मूल मंशा "सबका साथ-सबका विकास" की भावना को दृष्टिगत रखकर प्रदेश में अनुसूचितजाति/जनजाति, कमजोर एवं निर्बल वर्ग सहित हर वर्ग के लोगों के मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति कृत संकल्पित होकर इस दिशा में आगे बढ़कर प्रयास रही है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस दिशा में शुरू किये गये प्रयासों के सार्थक परिणाम सामने आ रहे है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पूर्ण पीठ के तीन दिवसीय लखनऊ प्रवास के दौरान योजना भवन में आयोजित कैम्प सिटिंग एवं जनसुनवाई के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रमुख सचिव गृह, श्री अरविन्द कुमार ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील एवं साफ-सुथरी अच्छी छवि के अधिकारियों की तैनाती जिलों में की गई है। प्रदेश के सभी जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों को प्रातः 9 से 11 बजे तक अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर जनता से भेंटकर उनकी शिकायतों व समस्याओं की गंभीरता से सुनवाई कर उनके निस्तारण हेतु हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिये गये है।

प्रमुख सचिव गृह, ने बताया कि जनता कि शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु "आई0जी0आर0एस0" के माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, जिसकी सीधी समीक्षा मुख्यमंत्री के निर्देशन में उनके कार्यालय द्वारा की जा रही है। श्री अरविन्द कुमार ने बताया कि थाना दिवस व तहसील दिवस की शिकायतों को भी इस पोर्टल से जोड़ने की योजना बनाई गयी है। उन्होंने बताया कि शिकायतों के निस्तारण एवं कार्यवाही की गुणवत्ता की सघन समीक्षा की जा रही है।

श्री अरविन्द कुमार ने बताया कि प्रदेश में विगत तीन चार माह में घटित सभी संवेदनशील घटनाओं को पूरी तत्परता एवं पारदर्शिता से वर्कआउट किया गया है और इनमें शामिल सभी आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है। ऑनलाइन "ई-एफआईआर" की व्यवस्था की गई है। ऐसे मामले जिनमें अभियुक्तों की नामजदगी नहीं होती है, "ई-एफआईआर" के तहत लोगों द्वारा सीधे आनलाइन एफआईआर दर्ज कराये जा रहे है। इसके अलावा सभी जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को उनके कार्यालय के माध्यम से भी एफआईआर दर्ज कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।

प्रमुख सचिव गृह, ने बताया कि जमीनों पर अवैध कब्जे की समस्या से निपटने के लिए "एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स" का गठन प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। इसके माध्यम से गरीब एवं निर्बल वर्ग के लोगों की जमीनों पर कब्जे की घटनाओं को कड़ाई से रोकने के प्रयास किये जा रहे है। जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध

कार्यवाही की जा रही है। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु 1090 सेवा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है। इसके अलावा हर जिले में “एण्टी रोमियों स्व्वायड” का गठन भी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक उल्लेखनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशों का तत्परता से अनुपालन कराया जा रहा है और प्रयास किये जा रहे हैं कि प्रदेश में मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी शिकायतें न्यूनतम हों।

आयोग के सदस्य जस्टिस श्री पी0सी0 घोष ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम देश के विभिन्न राज्यों में किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश इसका आयोजन किया गया है। उन्होंने आयोग के क्रियाकलापों की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि बदलते समय में नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों कि सेवा करना शासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। समाज के निर्बल व कमजोर वर्ग के व्यक्तियों की सेवा भाव को प्राथमिकता देते हुए सबकी सेवा-भाव को लेकर हमें आगे बढ़ना है।

आयोग के सेक्रेटरी जनरल श्री अम्बुज शर्मा ने कहा कि पूरे देश में इस प्रकार के जनसुनवाई जैसे कार्यक्रम से जहां एक ओर लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण होता है वहीं क्षेत्र विशेष की समस्याओं एवं वहां किये जाने वाले मानव संरक्षण के प्रयासों की जानकारी भी मौके पर ज्ञात होती है। आयोग के संयुक्त सचिव डा0 रंजीत सिंह ने अतिथियों के प्रति धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर आयोग के सदस्य जस्टिस श्री डी0 मुरगेशन, सदस्य श्री एस0सी0सिन्हा, सदस्य श्रीमती ज्योतिका कालरा के अलावा पुलिस महानिदेशक श्री सुलखान सिंह, गृह सचिव, श्री मणि प्रसाद मिश्र, विशेष सचिव, गृह श्री डी0के0 सिंह, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अन्य अधिकारीगण, गृह, पुलिस एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

उद्घाटन सत्र के बाद योजना भवन में मामलों की जन सुनवाई आयोग द्वारा चार बेंच के माध्यम से की गई। आयोग के सदस्य जस्टिस श्री पी0सी0 घोष की अध्यक्षता में 36, सदस्य जस्टिस श्री डी0 मुरगेशन की अध्यक्षता में 54, सदस्य श्री एस0सी0 सिन्हा की अध्यक्षता में 42 तथा सदस्य श्रीमती ज्योतिका कालरा की अध्यक्षता में 39 मामले सुनवाई के लिए रखे गये।